



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939

No. 154]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

**फा. सं. 1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/भाखासंमाप्रा-2016.**—कतिपय विनियमों में और संशोधन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम 2011, जिस में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि उक्त प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा खाद्य प्राधिकरण के ई-मेल पते [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजा जा सकता है;

आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त पर, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप विनियम

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2017 कहा जा सकता है।

2. खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में, -

(क) पैरा 2.1 में “जो कि डेयरी उत्पाद और सदृश्य” से संबंधित है, उपविनियम 2.1.9 “शिशु पोषण के लिए खाद्य” के अधीन उपशीर्षक “शिशु दुग्ध स्थानापन्न”-

(1) पैरा-1, क्रम संख्या 37 के पश्चात तथा प्रविष्टियों के द्वारा निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“परन्तु यह और कि, उपभोग के लिए तैयार शिशु दुग्ध स्थानापन्न उत्पादों में लेसिथिन और एस्कॉबिल पालिमेट का उपयोग अधिकतम क्रमशः 0.5 ग्राम/100 मिली और 1 ग्राम/100 मिली. तक ही किया जा सकता है।”

(2) पैरा-2 में, क्रम संख्या 38 के पश्चात और प्रविष्टियों के द्वारा निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“परन्तु यह और कि, उपभोग के लिए तैयार शिशु दुग्ध स्थानापन्न उत्पादों में लेसिथिन और एस्कॉबिल पालिमेट का उपयोग अधिकतम क्रमशः 0.5 ग्राम/100 मिली तथा 1 ग्राम/100 मिली. तक ही किया जा सकता है।”

(ख) पैरा 2.4 में “अन्न और अन्न उत्पाद” से संबंधित है, उपविनियम 2.4.15 में “बेकरी उत्पाद”-

(i) पैरा 1 में, तीसरे उपबंध के पश्चात, निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

“परन्तु यह और कि अच्छी उत्पादन व्यवहारों के अधीन बिस्किट में बेकर का यीस्ट अपेक्षित स्तर तक हो सकता है।”

(ii) पैरा 2 में, चौथे उपबंध के पश्चात, निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

“परन्तु यह और कि अच्छी उत्पादन व्यवहारों के अधीन ब्रेड में बेकर का यीस्ट अपेक्षित स्तर तक हो सकता है।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./17/17]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई:

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए, दिनांक 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, दिनांक 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/13-पीए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 5 दिसम्बर, 2014;
- (v) फा. सं.1-83एफ/वैज्ञा.पैन-नोटी/भाखासंमाप्रा-2012, दिनांक 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं. पी.15025/263/13-पीए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं.7/15015/30/2012, दिनांक 13 नवम्बर, 2015;

- (x) फा. सं.पी.15025/208/2013-पीए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा. सं.पी.15025/261/2013-पीए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा.सं.1-10(1)/मानक/एसपी (मछली एवं मछली उत्पाद)/भाखासंमाप्रा-2013, दिनांक11 जनवरी, 2016;
- (xiii) फा. सं. 3-16/ विशेष खाद्य/नोटीफिकेशन(खाद्य सहयोज्य)/भाखासंमाप्रा-2014, 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/प्रव/भाखासंमाप्रा/2014, दिनांक 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं. 3-14F/ अधिसूचना (न्यूट्रास्युटीकल)/भाखासंमाप्रा-2013, दिनांक 13 जुलाई 2016;
- (xvi) फा. सं. 1-12/मानक/एसपी (मिठाई, कन्फैक्सनरी)/ भाखासंमाप्रा-2015, दिनांक 15 जुलाई 2016;
- (xvii) फा. सं. 11/09/रजि/हामोनि/2014, दिनांक 5 सितम्बर 2016;
- (xviii) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/भाखासंमाप्रा-2015, दिनांक 14 सितम्बर 2016;
- (xix) फा. सं1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/भाखासंमाप्रा/ 2010, दिनांक 10 अक्टूबर 2016;
- (xx) फा. सं.11/12/रजि/प्रोप/भाखासंमाप्रा-2016, दिनांक 10 अक्टूबर 2016;
- (xxi) फा. सं. 1-110(2)/ एसपी (जैविक खतरे)/भाखासंमाप्रा/2010, दिनांक 10 अक्टूबर, 2016;
- (xxii) फा. सं. मानक/ एसपी (पानी एवं पेय) नोटी(2)/भाखासंमाप्रा-2016, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016;
- (xxiii) फा. सं. पी.15025/93/2011-पीएफए/भाखासंमाप्रा, दिनांक 2 दिसम्बर, 2016;
- (xxiv) फा. सं. पी.15025/6/2004-PFS/भाखासंमाप्रा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016;
- (xxv) फा. सं. मानक/तेल एवं बसा/नोटी(1)/भाखासंमाप्रा-2016, दिनांक 31 जनवरी, 2017;
- (xxvi) फा. सं. 1-12/मानक/2012-भाखासंमाप्रा, दिनांक 13 फरवरी, 2017; तथा
- (XXVII) फा. सं.1-10(7)/मानक/एसपी (मछली और मछली उत्पाद)/भाखासंमाप्रा-2013, दिनांक 13 फरवरी, 2017

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Food Safety and Standards Authority of India)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2017

**F. No. 1/Infant Nutrition/Std/ Notification/FSSAI/2016.**—The draft of regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or send on the email address of Food Authority at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in);

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

### Draft regulations

**1. Short title and commencement.** –These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017.

**2.** In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,-

(a) in regulation 2.1 relating to “DAIRY PRODUCTS AND ANALOGUES”, in sub-heading “Infant Milk Substitute” under sub-regulation 2.1.9 “FOODS FOR INFANT NUTRITION”,-

(i) in para 1, after Sl. No. 37 and the entries thereto, the following proviso shall be inserted, namely;-

“Provided further that in ready to drink infant milk substitute, lecithin and ascrobyl palmitate may be used upto maximum limit of 0.5 gm./100ml. and 1mg./ 100ml. respectively.”;

(ii) in para 2, after Sl. No. 38 and the entries thereto, the following proviso shall be inserted, namely;-

“Provided further that in ready to drink infant milk substitute, lecithin and ascrobyl palmitate may be used upto maximum limit of 0.5 gm./100ml. and 1mg./ 100ml. respectively.”;

(b) in regulation 2.4 relating to “CEREAL AND CEREAL PRODUCTS”, in sub-regulation 2.4.15 “BAKERY PRODUCTS”,-

(i) in para 1, after the third proviso , the following proviso shall be inserted, namely;-

“Provided also that biscuit may contain baker’s yeast at the levels required under “good manufacturing practices.”;

(ii) in para 2, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely;-

“Provided also that bread may contain baker’s yeast at the levels required under “good manufacturing practices .”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.- III/4/Exty./17/17]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:-

- (i) F. No.4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F. No.P.15014/1/2011-PFA, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F. No.5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F. No.P.15025/262/13-PA/FSSAI, dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;
- (vi) F. No.4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F. No.P.15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F. No.P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F. No.7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
- (x) F. No.P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F. No.P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016;

- (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016;
- (xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated the 14th June, 2016;
- (xv) No. 3-14F/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated the 13th July 2016;
- (xvi) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/ FSSAI-2015, dated the 15th July 2016;
- (xvii) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated the 5th September 2016;
- (xviii) Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated the 14th September 2016;
- (xix) F. No.1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 10th October 2016;
- (xx) F. No.11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016, dated the 10th October 2016;
- (xxi) F. No.1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 10th October, 2016;
- (xxii) F. No. Stds/ SP (Water & Beverages) Notif(2)/FSSAI-2016, dated the 25th October, 2016;
- (xxiii) F. No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, dated the 2nd December, 2016;
- (xxiv) F. No. P.15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated the 29th December, 2016;
- (xxv) F. No.Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated the 31st January, 2017;
- (xxvi) F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> february,2017; and
- (XXVII) F. No.1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 13<sup>th</sup> february,2017